संख्या–3865 / 9–आ–4–99–433एन / 97

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, (नगर निगम क्षेत्र)
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, वाराणसी, मेरठ,
मुरादाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, गाजियाबाद तथा लखनऊ।

3. आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक 10 जनवरी, 2000

विषय :आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर शासनादेश संख्या–2311 / 9–आ–4–97–433एन / 97, दिनाँक 15 सितम्बर, 1997 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2;1द्ध में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आशय योजना के अर्न्तगत निर्वाद रूप से रिक्त नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रु0 300 / – प्रति वर्ग मी0 से अधिक नहीं है, चयनित किये जाने की शर्त रखी गयी थी तथा इसी शासनादेश के प्रस्तर–2;5द्ध में यह भी शर्त रखी गयी थी कि योजना के लिए स्थान चयन के उपरान्त नजूल भूमि के आवंटन का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जायेगा तथा शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनाँक 15.9.1997 के प्रस्तर–2;1द्ध में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निर्बाध रूप से रिक्त चयनित नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रु0 300 / – प्रतिवर्ग मी0 से अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अपने स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2;5द्ध में आवंटन प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या–3865;1द्ध / 9–आ–4–99–433 एन / 97 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।